



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. NCST/SER-1681/BR/1/2024-SSW-RU-IV

Dated:- 16.06.2025

To,

The Chairman,
Uttar Bihar Gramin Bank (UBGB),
Sharma Complex, Kalambagh Chowk,
Gannipur Road, 234, Khabra Rd,
Gannipur, Muzaffarpur – 842001(Bihar)
Email Id: ubgb@ubgb.in

Sub:- Representation of Ms. Sushma Minj, Uttar Bihar Gramin Bank Subhankarpur Shubhankarpur Darbhanga Bihar regarding harassment of ST Branch Head by the management of Uttar Bihar Gramin Bank.

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of the Minutes of the sitting held on 16.05.2025 under the Chairmanship of Dr. Asha Lakra, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes on the above mentioned subject for necessary action.

It is requested that compliance report in the matter on the recommendation may be furnished to this Commission within 30 days positively for placing the same before the Hon'ble Commission.

Yours faithfully

(एच.आर.मीना/H.R.Meena)

अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
Email ID : hari.rammeena@ncst.nic.in

Copy to:

Ms. Sushma Minj,
W/o Lt. Benedict Xalxo
Flat No. 202, Fatima Nagar,
Middle Lane, Dangara Toli,
Ranchi, Jharkhand - 834001
Mobile No:9431637915
Email:- chhavi2233@gmail.com
Mobile No:9431637915

- (i) PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
(ii) NIC for uploading



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

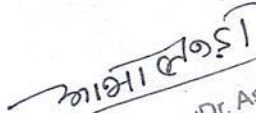
NCST/SER-1681/BR/1/2024-SSW

श्रीमति सुषमा मिंज, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, शाखा प्रबंधक, शाखा – शुभंकरपुर, जिला-दरभंगा, बिहार के अभ्यावेदन के सम्बन्ध में दिनांक 16.05.2025 को आयोग मुख्यालय में आयोग की माननीया सदस्य (डॉ आशा लकड़ा) की अध्यक्षता में हुई सिटिंग/ सुनवाई का कार्यवृत्त।

सिटिंग/ सुनवाई की दिनांक : 16.05.2025
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार

श्रीमति सुषमा मिंज से आयोग में शिकायत दिनांक 24.09.2023 प्राप्त हुई जिसमें उन्होंने बताया कि उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय-दरभंगा के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री मो० रियाजद्दीन अहमद द्वारा जानबूझकर याचिकाकर्ता (सुषमा मिंज) का मानसिक शोषण किया जा रहा है और उन्हें डराने के लिए बार-बार "WIDOW" शब्द से सम्बोधित किया जा रहा है, जिससे याचिकाकर्ता को अत्यधिक परेशानी और मानसिक पीड़ा हो रही है। इस प्रकार का व्यवहार 31.07.2023 को जारी पत्र में तीन बार याचिकाकर्ता को "WIDOW SUSHMA MINZ" के रूप में सम्बोधित करके किया गया है, जबकि उनका नाम केवल "SUSHMA MINZ" है। इसके अलावा, शाखा शुभंकरपुर में महिला कर्मियों के साथ काम करते हुए याचिकाकर्ता को अकेले छोड़कर वसूली एवं ऋण वितरण के कार्य सौंपे जा रहे हैं। श्री अहमद द्वारा दिए गए आदेशों और पत्रों में याचिकाकर्ता को बार-बार प्रताड़ित किया जा रहा है, जैसे कि अवैतनिक अवकाश के लिए स्पष्टीकरण माँगना और वेतन वृद्धि की प्रक्रिया में देरी करना। याचिकाकर्ता के दिवंगत पति की मृत्यु के बाद वे अकेले दरभंगा में रह रही हैं और इस प्रकार के व्यवहार से वे भयभीत हैं। वे एक अनुसूचित जनजाति की महिला हैं और उन्हें श्री अहमद के दुर्व्यवहार से मानसिक और शारीरिक शोषण का सामना करना पड़ रहा है। अतः याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि उपरोक्त मामले की जांच कर उन्हें न्याय प्रदान किया जाए।

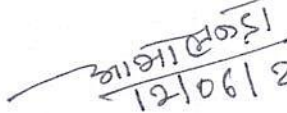
2. प्रकरण के संबंध में आयोग द्वारा अध्यक्ष, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक (UBGB), मुजफ्फरपुर, बिहार से रिपोर्ट मांगने हेतु नोटिस दिनांक 19.09.2024 को भेजा गया।


डॉ. आशा लकड़ा / Dr. Asha Lakra
सदस्य / Member
भारत सरकार / Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली / New Delhi

3. सम्बन्धित प्राधिकारियों से समय से रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर मामले में दिनांक 31.01.2025 को सुनवाई सम्पन्न हुई थी जिसमें आयोग द्वारा अनुशंसाएं की गई थी किन्तु आयोग की अनुशंसाओं पर वांछित रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः प्रकरण पर पुनः दिनांक 16.05.2025 को आयोग में सिटिंग तय की गई
4. दिनांक 16.05.2025 को आयोग मुख्यालय में सुनवाई के दौरान प्रार्थीन व बैंक की तरफ से मुख्य प्रबंधक (विधि) उपस्थित रहे।

मामले की सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती हैं :-

1. मामले में मुख्य प्रबंधक (विधि) ने अवगत करवाया कि उनके बैंक का अभी विलय हुआ है जिससे लगभग पदाधिकारी व दायित्वों में बदलाव आया है अतः दिनांक 31.01.2025 की आयोग में हुई सुनवाई के कार्यवृत्त पर कार्यवाही हेतु उन्हें समय प्रदान किया जाए
2. मामले में 30 दिवस में कार्यवाही कर आयोग को प्रेषित करे


12/06/2025
(डॉ. आशा लकड़ा)

सदस्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा / Dr. Asha Lakra
सदस्य / Member
भारत सरकार / Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली / New Delhi

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

(File No. NCST/SER-1681/BR/1/2024-SSW)

ATTENDANCE SHEET

Sub: Sitting to be held on 16.05.2025 at 12:00 HRS in the case of श्रीमति सुषमा मिज, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, शाखा प्रबंधक, शाखा - शुभंकरपुर, जिला- दरभंगा, बिहार ।

Sr. No.	Department	Contact details	Signature
I	National Commission for Scheduled Tribes		
1.	Dr. Asha Lakra, Hon'ble Member		In Chair
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav, Deputy Secretary		
3.	Shri H. R. Meena, Research Officer		
4.	Shri Rahul, Investigator		
5.	Shri Rahul Yadav, Consultant (Legal)		
II	अध्यक्ष, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक (UBGB), बिहार		
1.	कुलदीप प्रो. यादव मुख्यालय प्रबंधक (ग्रामीण)	98102914098	
2.			
III	अभ्यावेदक		
1.	Sushma Mij	9431637915	
2.			